[1]धारा 51 : स्त्रोत पर कर कटौती

(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सरकार,–

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या स्थापन को; या

(ख) स्थानीय प्राधिकारी को; या

(ग) सरकारी अभिकरणों को; या

(घ) ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए,

(जिसे इस धारा में इसके पश्चात् ''कटौतीकर्ता'' कहा गया है), कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकार (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् ''ऐसा व्यक्ति, जिससे कटौती की गई है'' कहा गया है) को किए संदाय या दिए गए प्रत्यय से वहां, जहां ऐसी पूर्ति का कुल मूल्य किसी संविदा के अधीन दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, के एक प्रतिशत् की दर से कर कटौती करने का आदेश सकेगी :

परन्तु कोई कटौती तब नहीं की जाएगी यदि पूर्तिकार का अवस्थान और पूर्ति का स्थान किसी ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में है, जो, यथास्थिति, प्राप्तिकर्ता के रजिस्ट्रीकरण वाले राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न है।

स्पष्टीकरण–ऊपर विनिर्दिष्ट कर की कटौती के प्रयोजन के लिए पूर्ति के मूल्य को बीजक में उपदर्शित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर को अपवर्जित करते हुए रकम के रूप में लिया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन कर के रूप में कटौती की गई रकम का कटौतीकर्ता द्वारा उस मास के जिसमें ऐसी कटौती की गई है, अंत से दस दिन के भीतर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सरकार को संदाय किया जाएगा।

[2][(3) स्त्रोत पर कर की कटौती का प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में जारी किया जाएगा, जो विहित की जाए।]

(4) [3][.....]

---

1 धारा 51 को अधिसूचना क्रमांक 51/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 13.09.2018 द्वारा दिनांक 01.10.2018 से प्रभावशील किया गया।

2 वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा उपधारा (3) प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 92/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2021 से प्रभावशील किया गया।
प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार थी :
''(3) कटौतीकर्ता को ऐसे व्यक्ति जिससे कटौती की जा रही है, को संविदा मूल्य, कटौती की दर, कटौती की गई रकम, सरकार को संदत्त रकम और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वर्णित करते हुए एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।''

3 वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा उपधारा (4) विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 92/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2022 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2021 से प्रभावशील किया गया।
विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार थी :
''(4) यदि कोई कटौतीकर्ता, ऐसे व्यक्ति, जिससे कटौती की जा रही है, की स्त्रोत पर कर की कटौती करने के पश्चात्, सरकार के पास इस प्रकार कटौती की गई रकम को जमा करने के पांच दिन के भीतर उसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो कटौतीकर्ता विलंब फीस के माध्यम से ऐसी पांच दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जब तक कि ऐसी असफलता को ठीक नहीं कर लिया जाता है, पांच हजार रूपए की अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए एक सौ रूपए की राशि का संदाय करेगा।''

(5) ऐसा व्यक्ति, जिससे कटौती की जा रही है, अपने इलैक्ट्रोनिक नकद खाते में कटौती किए गए और धारा 39 उपधारा (3) के अधीन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत कटौतीकर्ता की विवरणी में उपदर्शित कर के प्रत्यय का दावा करेगा।

(6) यदि कोई कटौतीकर्ता उपधारा (1) के अधीन कर के रूप में कटौती की गई रकम का सरकार को संदाय करने में असफल रहता है तो वह कटौती किए गए कर की रकम के अतिरिक्त धारा 50 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में ब्याज का संदाय करेगा।

(7) इस धारा के अधीन व्यतिक्रम की रकम का अवधारण धारा 73 या धारा 74 [4][या धारा 74क] में विनिर्दिष्ट रीति में किया जाएगा।

(8) आधिक्य या त्रुटिपूर्ण कटौती के मद्दे उद्भूत कटौती के कटौतीकर्ता या ऐसे व्यक्ति, जिससे कटौती की जा रही है, को प्रतिदाय करने के संबंध में धारा 54 के उपबंधों के अनुसरण में कार्यवाही की जाएगी :

परन्तु कटौतीकर्ता को कोई प्रतिदाय अनुदत्त नहीं किया जाएगा यदि कटौती की गई रकम का, ऐसे व्यक्ति, जिससे कटौती की जा रही है, के इलैक्ट्रोनिक नकद खाते में प्रत्यय कर दिया गया है।

उपयुक्त नियमः नियम 12

---

4 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।